सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 14, शुक्रवार, *शाके* 1942–मार्च 5, 2021
Phalguna 14, Friday, Saka 1942- March 5, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 05, 2021

संख्या प.12(3)**नविवि/**2021 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959 की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा खसरा संख्या 1, 2, 24, 25, 26, 27, 41, 43 ग्राम सडिया में स्थित रकबा 530.73 बीघा भूमि पर परिधि नियंत्रण पट्टी में मास्टर प्लान भू-उपयोग अनुसार बहुउद्देशीय योजना प्रस्तावित की गयी है। जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार है:-

उत्तर - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या -388

दक्षिण - राजस्व ग्राम सडिया खसरा संख्या -41, 42, 43

पूर्व - राजस्व ग्राम सडिया खसरा संख्या -3, 21, 22, 23, 28

पष्चिम - राजस्व ग्राम जैसलमेर खसरा संख्या -420, 421, 422 सरहद एवं एन.एच 68 बाईपास सडक

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 530.73 बीघा है। योजना क्षेत्र का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसकों किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से
त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

2068

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।